दिनांक-10.12.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

एक्सपायरी मिक्श्चर बेचने वाले दुकानदार पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया जुर्माना , एक्सपायरी सामग्री जप्त

भिलाईनगर/ वार्ड 25 पुराना मछली मार्केट में मोहम्मद उस्मान के द्वारा एक सकरी गली में मीठा ब्रेड (दोनेट) तैयार किया जा रहा था जिसमें तीन महिलाएं इस कार्य में लगी हुई थी , इस खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए दो घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था जबकि यह गली बहुत ही सकरी है! उड़नदस्ता टीम को जब निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि आवासीय परिसर में व्यवसाय किया जा रहा है तो टीम मौके पर पहुंच गई और यह पाया कि बनाए जा रहे खाद्य पदार्थ में निर्माण की तिथि , निर्माण सामग्री की जानकारी, उपयोग करने की अंतिम तिथि आदि अंकित नहीं है, मोहम्मद उस्मान के पास किसी प्रकार का दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुआ, व्यवसाय करने वाले ने बताया कि व्यवसाय करने के लिए दुकान किराए पर लिया गया है!उड़नदस्ता की टीम ने व्यवसायी को व्यवसाय बंद कर तत्काल खाली करने कहा साथ ही 5000 का अर्थदंड भी लिया है!

जनसम्पर्क अधिकारी